



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियाँ एक बेहतर
दुनिया का निर्माण करती हैं

No. फा.सं. 17-02(Reports)/2023-HR-III

Dated 13/10/2026

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में: सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख
To : The Directors/Heads of all CSIR Labs/Instts./Units

विषय : कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act, 2013) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्पीड़न एवं संबंधित मुद्दों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के समाधान के लिए अंशकालिक परामर्शदाता/मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।

Subject: Clarification regarding engagement of a Part-Time Counsellor/psychologist to address mental health impacts of harassment and related issues for effective implementation of the POSH Act, 2013 -reg

संदर्भ: सीएसआईआर का कार्यालय ज्ञापन सं. 17.02(Reports)/2023-HR-III, दिनांक 27.01.2026
Ref. CSIR OM no. 17.02(Reports)/2023-HR-III, dated 27.01.2026

महोदया/महोदय, Madam/Sir,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 04.06.2026 को सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के साथ POSH अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में आयोजित प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठक के दौरान, कुछ सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा उत्पीड़न एवं संबंधित मुद्दों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के समाधान हेतु परामर्शदाता/मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे।

I am directed to state that during the first quarterly review meeting held with CSIR laboratories on 04.06.2026 regarding the implementation of the POSH Act, some CSIR Labs/Institutes sought certain clarifications concerning the engagement of Counsellor/psychologist to address mental health impacts of harassment and related issues.

इस मामले की नीति प्रभाग के परामर्श से जांच की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएसआईआर द्वारा अंशकालिक चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति के संबंध में क्रमशः परिपत्र संख्या 4(10)/80-E.॥ दिनांक 03.02.1988 तथा CSIR के पत्र संख्या 4(10)/91-E.॥ दिनांक 06.02.2008 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अंशकालिक डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों को देय मानदेय में समय-समय पर संशोधन किया गया है, जिसका नवीनतम संशोधन सीएसआईआर के कार्यालय ज्ञापन सं. 5-1(96)/2010-PD, दिनांक 05.06.2025 के माध्यम से जारी किया गया था।

जारी पृष्ठ सं. 2/-



The matter has been examined in consultation with the Policy Division. It is clarified that CSIR has issued detailed guidelines for engaging part-time doctors and specialists vide Circular No. 4(10)/80-E.II dated 03.02.1988 and CSIR letter no. 4(10)/91-E.II dated 06/02/2008 respectively. Further, the honorarium payable to part-time doctors and specialists has been periodically revised, the latest of which was issued vide CSIR OM No. 5-1(96)/2010-PD dated 05.06.2025.

तदनुसार, सीएसआईआर में अंशकालिक डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु आवश्यक नीतिगत ढांचा पहले से ही उपलब्ध है। यदि किसी प्रयोगशाला/संस्थान को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए मनोचिकित्सक अथवा किसी अन्य उपयुक्त विशेषज्ञ की सेवाओं की आवश्यकता हो, तो मौजूदा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विशेषज्ञ के रूप में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। नियुक्ति की अवधि, आवश्यकता तथा उपयुक्त विशेषज्ञ के चयन के संबंध में निर्णय संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर लिया जा सकता है।

Accordingly, the requisite policy framework for engagement of part-time doctors and specialists already exists in CSIR. If any Laboratory/Institute requires the services of a psychiatrist or any other suitable specialist for providing mental health support, their services may be engaged as a Specialist under the existing guidelines. The duration of engagement, requirement and selection of the appropriate specialist may be decided by the Director of the concerned Laboratory/Institute based on the local requirements.

भवदीय/Yours faithfully



(अजय कुमार राठी)/ (Ajay Kumar Rathie)

अवर सचिव (मानव संसाधन-III)/ Under Secretary (HR-III)

प्रतिलिपि / Copy to:

- 1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
- 2) कार्यालय प्रति /Office copy.